

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2002/ ज्येष्ठ 6, 1924

No. 28] NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2002/ JYAISTHA 6, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS**  
**(Legislative Department)**

*New Delhi, the 27th May, 2002/Jyaistha 6, 1924 (Saka)*

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 24th May, 2002, and is hereby published for general information:—

**THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER**  
**(AMENDMENT) ACT, 2002**

No. 25 OF 2002

[24th May, 2002.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002.

Short title.

2. The Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 is hereby amended in the manner and to the extent specified hereunder, namely:—

Amendment of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

(a) in PART XIII.—*Orissa*,—

(i) omit entry 22;

(ii) omit entry 90;

(iii) after entry 93, insert—

"94. Mangali (in Koraput and Kalahandi districts);

95. Mirgan (in Navrangpur district).";

(b) in PART XIV.—*Punjab*,—

(i) for entry 9, substitute—

"9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Ramdasia, Ramdasia Sikh, Ravidasia, Ravidasia Sikh.";

(ii) after entry 37, insert—

"38. Mochi.";

(c) in PART XIX.—*West Bengal*,—

(i) for entry 22, substitute—

"22. Hari, Mehtar, Mehtor, Bhangi, Balmiki.";

(ii) after entry 59, insert—

"60. Chain (in Malda, Murshidabad, Nadia and Dakshin Dinajpur districts).".

SUBHASH C. JAIN,  
*Secy. to the Govt. of India.*

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश  
(संशोधन) अधिनियम, 2002  
(2002 का अधिनियम संख्यांक 25)

[24 मई, 2002]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950  
का और संशोधन  
करने के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 है ।

संक्षिप्त नाम ।

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची, नीचे विनिर्दिष्ट रीति से और सीमा तक, संशोधित की जाती है, अर्थात् :-

संविधान  
(अनुसूचित  
जातियां) आदेश,  
1950 का  
संशोधन ।

(क) भाग 13--उड़ीसा में,—

(i) प्रविष्टि 22 का लोप करें ;

(ii) प्रविष्टि 90 का लोप करें ;

(iii) प्रविष्टि 93 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,—

“94. मंगली (कोरापुट और कालाहांडी जिलों में) ;

95. मीरगन (नवरंगपुर जिले में) ;”

(ख) भाग 14--पंजाब में,—

(i) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

“9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी, रामदसिया, रामदसिया सिख, रविदसिया, रविदसिया सिख ।”;

(ii) प्रविष्टि 37 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें,—

“38 मोची ।”;

(ग) भाग 19--पश्चिमी बंगाल में,—

(i) प्रविष्टि 22 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें --

“22. हरी, मेहतार, मेहतोर, भंगी, बाल्मीकि ।”;

(ii) प्रविष्टि 59 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित करें, --

“60. चेन (माल्दा, मुर्शिदाबाद, नादिया और दक्षिण दीनाजपुर जिलों में) ।”।